

प्रका,
अधीनस्थ सुभार,
अनुभव सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,
आनुभव एवं सचिव,
राजस्व परिषद् उत्तर,
सरकार ।

राजस्व अनुभाग-9
विषय- राजस्व निरीक्षकों के 500 अस्थायी पदों का सृजन किया जाना ।

तारीख: दिनांक 26 नवंबर 2016

महोदय,

राज्यपाल विधायक अपने पत्र संख्या-डी-611/4-4एफ/2008 दिनांक 28-8-2016 का प्रतिलिपि संदर्भ धरकर ।

2- काल के सम्बन्ध में भुझे यह कहने का विवेक हुआ है कि राजस्व निरीक्षकों के समस्त 286000 30000 के सम्बन्धन एवं सुसज्ज परीक्षण के दृष्टिकोण राजस्व निरीक्षकों और लेखापालों के मध्य पदों का अनुपात 01:10 किए जाने के सम्बन्ध में राजस्व निरीक्षकों के 1308 अस्थायी पदों का सामनादेश सं०-308/ एफ- 9-16-89 (रोडो)/2014 दिनांक 27-2-2015 द्वारा सृजन किया गया था । लेखापालों के 5000 अधिविस्त पदों का सृजन सामनादेश सं०-1372/एफ-9-2015 -27/10 सृजन/2015 दिनांक 21-5-2015 द्वारा किए जाने के कारण राजस्व निरीक्षकों और लेखापालों के मध्य पदों का अनुपात 01:10 नहीं रह गया । अब राजस्व निरीक्षकों एवं लेखापालों के मध्य उत्तर अनुभाग बनाए रखने के लिए लेखापालों के 500 पदों को समाप्त करते हुए राजस्व निरीक्षकों के 500 अस्थायी पदों को वेतन-1-1-80 5200-20200 तथा डीआर में 80 2800/- में दिनांक 28-02-2017 तक सृजित करते हुए कार्य को पुनर्निश्चित किए जाने की भी राज्यपाल सार्वभौमिकी प्रदान करते हैं वहाँ कि उन्हें बिना किसी पूर्व शर्तों के पहले समाप्त न कर दिया जाए ।

3- राजस्व निरीक्षकों के पदों पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2016-17 में

रुपयान्त 2/-


(2)

आय-व्ययक के अनुदान संख्या-52 के अधीन लेखाशीर्षक-2029-भू-राजस्व-
आयोजनेत्तर-103-भू अभिलेख-04-जिला व्यय के अन्तर्गत सुसंगत इकाइयों के नामें
डाला जायेगा ।

4- राजस्व परिषद अपने स्तर से राजस्व निरीक्षकों के नवसृजित 500 पदों तथा
लेखपालों के समाप्त किये जा रहे 500 पदों की जनपदवार फांट समस्त सम्बन्धित
को जारी करेंगे ।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशा0पत्रसं0ई-5-1203 /दस-2016 दिनांक
29-11- 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किए जा रहे हैं ।

भवदीय,



(अरविन्द कुमार)
प्रमुख सचिव ।

संख्या- 2489 (1) / 1-9-2014 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- महालेखाकार(प्रथम),उ0प्र0 इलाहाबाद ।
- 2-वित्त(व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-2/5
- 3-वित्त(वेतन आयोग)अनुभाग-1 व 2 को 02 अतिरिक्त प्रतियों सहित ।
- 4- वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-2
- 5-गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,


(बीरबल सिंह)
उप सचिव ।